



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934

No. 3]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 3(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1988 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रधान रजिस्ट्रार	1*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन- 10000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7) लागू नहीं होता	(8) लागू नहीं होता	(9) लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	
(10)	(11)	
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>(i) ऐसे अधिकारी जो विधि की डिग्री रखते हैं और</p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में ग्रेड वेतन 8700 रु की श्रेणी के पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद</p>	<p>प्रोन्नति:-</p> <p>ऐसे रजिस्टार जिनकी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में श्रेणी में तीन वर्ष की नियमिति सेवा है।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 1:-</p>	

<p>धारण किए हुए हैं। (ii) ऐसे अधिकारी जो जिला न्यायाधीश/उच्च न्यायालय में अपर पद पर नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं। वांछनीय:- ऐसे व्यक्ति जो अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड रखते हैं और कार्मिक और प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखते हैं।</p>	<p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाब पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्रस करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन की आयोग सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(12)</p> <p>समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण- अध्यक्ष</li> <li>2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य, - सदस्य</li> <li>3. सचिव या अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-सदस्य</li> </ol>	<p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	*09(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचितीय	वेतनबैंड- 4 37400- 67000 रू.+ग्रेड वेतन 8700 रू.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
10	66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे संयुक्त रजिस्ट्रार जिनकी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में पांच वर्ष की नियमित सेवा है जिसके न हो सकने पर संयुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार श्रेणी में जिनकी कम से कम दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है जिसमें संयुक्त रजिस्ट्रार श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा शामिल है । टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की	11	12	13	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अध्यक्ष 2. अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य :- 3. संयुक्त सचिव, प्रशासनिक अधिकरण खंड का भारसाधक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता	

सिफारिशों पर अधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति:**

- (ii) ऐसे अधिकारी जो विधि की डिग्री रखते हैं और
- (क) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में सदस्य पद धारण किए हुए हैं; या
- (ख) जिनकी ग्रेड वेतन 7600 रु. श्रेणी के पद में नियमित आधार पर न्यूनतम पांच वर्ष की जिनकी सेवा के साथ पद धारण किए हुए हैं; या
- (ग) जिनकी ग्रेड वेतन 6600 रु. श्रेणी के पद में नियमित आधार पर न्यूनतम दस वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुए हैं।
- (iii) ऐसे अधिकारी जो जिला न्यायधीश/अपर जिला न्यायधीश/उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार/अपर रजिस्ट्रार का पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाब पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की

	<p>सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षणी में विलप हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>								
<p>1 संयुक्त रजिस्ट्रार</p>	2	3	4	5	6	7	8	9	
<p>3. संयुक्त रजिस्ट्रार</p>	*11(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसंधिवीय	4 37400-67000 रु.+ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
10	11								
<p>66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b>          ऐसे उप रजिस्ट्रार जिनकी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है।  <b>टिप्पण 1:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>								
<p>12</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-          1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अध्यक्ष          2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य - सदस्य</p>								
13	लागू नहीं होता								

टिप्पण 2:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

#### प्रतिनियुक्ति:

(i) ऐसे अधिकारी जो विधि की डिग्री रखते हैं और

(क) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय के अधीन में सदस्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) जिनकी ग्रेड वेतन 6600 रु. के पद पर श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है।

(ii) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण

3: संयुक्त सचिव,  
प्रशासनिक अधिकरण खंड  
का भारसाधक, कार्मिक और  
प्रशिक्षण विभाग : सदस्य

	ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलय हो गया है और वहां या लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		3	4	5	6	7	8	9
10	<p>प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p> <p>प्रोन्नति:</p> <p>ऐसे अनुभाग अधिकारी/कोर्ट अफिसर जिनकी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ग्रेड वेतन 4800 रु. और 5400 रु. की श्रेणी छह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	11	12	13					
4. उप रजिस्ट्रार	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतनबैंड-3 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	<p>1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण : अध्यक्ष</p> <p>2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य - सदस्य</p> <p>3. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रधान रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार या अन्य रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण : सदस्य</p>								



टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

#### प्रतिनियुक्ति:

- (i) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय के ऐसे अधिकारी;
  - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, या
  - (ii) जिनकी ग्रेड वेतन 5400 रु. में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा है या समतुल्य, या
  - (iii) जिनकी ग्रेड वेतन 4800 रु. में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा या समतुल्य; और
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री रखते हैं या समतुल्य।
- (ii) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी

द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफरिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलप हो गया है और वहां या लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफरिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. ए-12011/3/2009-एटी]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. संख्या 1036\*(अ) तारीख 27 अक्टूबर, 1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. संख्यांक 1024(अ) तारीख 20 नवम्बर, 1989, सा.का.नि. संख्यांक 494 तारीख 20 अगस्त, 1991, सा.का.नि. संख्यांक 472(अ) तारीख 23 अगस्त, 1997 और सा.का.नि. संख्यांक 154(अ) तारीख 23 फरवरी, 2000 द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।